

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- 323 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 06 मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा(1) का खण्ड (i) के सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 359 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से उत्तराखण्ड में "होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग के नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

श्रेणी "क" नगर निगमों एवं नगर पालिका क्षेत्रों में अवस्थित सभी होटल, रामनगर क्षेत्र के निकट जिम कार्बेट पार्क क्षेत्र में आने वाले सभी रिसोर्ट/होटल चाहे वे नगर पालिका रामनगर क्षेत्र से बाहर ही क्यों न हो, छावनी क्षेत्रों में अवस्थित सभी ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्टों में विभिन्न वर्गों के कार्य हेतु नियोजित कर्मचारों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें:-

क्रमांक	होटल एवं रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गों के कर्मचारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
(1)	(2)	(3)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
1	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	8553	8757	8968	-
2	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।	8757	8968	9184	9493
3	स्टार होटल	9073	9697	10328	11157

श्रेणी "ख" नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्टों में विभिन्न वर्गों के कार्य के लिये नियोजित कर्मचारों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें:-

क्रमांक	होटल एवं रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गों के कर्मचारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
(1)	(2)	(3)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
1	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	8027	8188	8343	-
2	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।	8238	8399	8553	8757
3	स्टार होटल	8757	9184	9598	10118

344
 14/3/19

टिप्पणी— कर्मचारियों को उपलब्ध अल्पाहार एवं भोजन हेतु शासनादेश संख्या 758/VIII/228(श्रम)/2001, दिनांक 28.04.2005 में निर्धारित कटौती की सीमा ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 800 प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।

- 1— विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2— **परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:**— अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3— मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4— घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5— ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6— मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7— जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8— ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9— यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10— किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल —

चपरासी, चौकीदार, दरबान, वाचमैन, गेटकीपर, मशालची, स्वीपर, सफाईकार, हेल्पर, मजदूर, ट्रालीमैन, कुली, गेट-ब्याय, गेम ब्याय, बाल-ब्याय, पेज-ब्याय, लाण्डीमैन, वाटर मैन, लेमन मैन, विलियर्ड—

ब्याय और वे सभी कर्मकार जो अकुशल प्रकार के कार्य में लगे हो, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल—

वेटर/बैरा/सहायक स्टीवार्ड, रूम बैरा, सर्विस मैन, सहायक रसोइया, सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक मैकेनिक, सहायक ऑपरेटर, बिल मैन/लिपिक/बिल कलेक्टर, क्रेता, लिफ्ट मैन, सेफ, पम्प मैन, गैस फिलर, वायरमैन, विलियर्ड्स मार्कर, आईसक्रीम वाला, फालूदा मेकर, सीरपमेकर, भेलपुरी वाला, कबाब सीक वाला, ग्राइण्डर, बार मैन, फाउण्टेन मैन, माली और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल—

रसोइया/उस्ताद महाराज, तंदुरिया/तदूरची, खानसामा/बावर्ची, प्रधान वेटर/प्रधान बैरा, सुपरवाइजर्स, हलवाई, मिठाई बनाने वाला, हेडबेकर, पेण्ट्रीमैन/हेड पेण्ट्रीमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टीवार्ड/कनिष्ठ कैप्टेन, लेखाकार, टंकक, आशुलिपिक, रोकड़िया, स्टोर कीपर, स्वागती/मुख्य स्वागती, आर्डर मास्टर, होटल गाइड, टेलर/कारपेन्टर, फिटर/टर्नर/प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपरेटर मैकेनिक, ड्राइवर, सहायक बागवानी, विशेषज्ञ, हाउस कीपर ट्रेनर (स्वीमिंग) और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. अतिकुशल—

प्रधान रसोइया, कैप्टेन, बटलर, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ टंकक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, ज्येष्ठ आशुलिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या:— 323 (1)/VIII/19-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेंद्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।